सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं0: 3159/1014/2014 | दिनांक: 23.06.2017

श्री विक्रम सिंह | वादी
ग्राम – चंदीला, पोस्ट – लहचौड़ा
तह – हिण्डौन सिटी
जिला–करौली – 322230, राजस्थान

R1882

बनाम

रेलवे भर्ती सेल
(द्वारा) अध्यक्ष
पार्सेल डेपो, अलीभाई प्रेमजी मार्ग
ग्रांट रोड (पूर्व), मुंबई – 400007 | प्रतिवादी

R1883

सुनवाई की तिथियाँ : 15.05.2017 एवं 16.06.2017

उपस्थित :

- प्रार्थी – प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित
- श्री एस.एम. शेख, सहायक क्रार्मिक अधिकारी, प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता श्री विक्रम सिंह ने पश्चिम रेलवे में नियुक्ति से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक 05.11.2014 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. प्रार्थी का अपनी शिकायत दिनांक 05.11.2014 में कहना है कि वह विकलांगता वर्ग के ओ.एच. वर्ग में आता है तथा उन्होंने रेलवे भर्ती का मेडिकल भी पास कर लिया है और डॉक्टर ने उन्हें ओ.एच. वर्ग में फिट माना है फिर भी रेलवे भर्ती बोर्ड, पश्चिम रेलवे, मुम्बई ने उनकी उम्मीदवारी पेंडिग रखी है।

3. मामला अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत प्रतिवादी से दिनांक 10.04.2015 को उठाया गया। प्रतिवादी के पत्र दिनांक 11.06.2015 एवं वादी के टिप्पण दिनांक 09.07.2015 के मद्देनज़र दिनांक 15.05.2017 को सुनवाई रखी गई।

4. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी एवं वादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इसलिए पुनः दिनांक 16.06.2017 को सुनवाई रखी गई । प्रतिवादी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और बताया कि श्री विक्रम सिंह को रेलवे

भर्ती सेल, पश्चिम रेलवे, द्वारा अधिसूचित रोजगार सूचना संख्या 02/2012 दिनांक 27.09.2012 के तहत ग्रुप 'डी' में भर्ती हेतु विकलांग कोटा (पीएच/ओएच) में लिखित परीक्षा में सफल होने के पश्चात् दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया गया था, जिसके पश्चात् शारीरिक आरोग्यता परीक्षण हेतु मण्डल रेलवे अस्पताल अहमदाबाद भेजा गया, मुख्य चिकित्सा अधिक्षक – अहमदाबाद ने अपने प्रमाण पत्र सं. 433190 दिनांक 27.03.2013 द्वारा श्री विक्रम सिंह को (fit for OH) with kyphocolosis दर्शाया है। रेलवे भर्ती सेल, पश्चिम रेलवे, मुंबई ने रोजगार सूचना सं. 2/2012 के तहत Grade Pay Rs. 1800/- में विभिन्न पदों हेतु रिक्तियाँ अधिसूचित की थीं जिसमें विकलांग व्यक्तियों हेतु रेलवे बोर्ड के दिनांक 27.08.2009, की लिस्ट अनुसार पद निर्धारित किए थे तथा जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी सूची अनुसार थी, इस लिस्ट में रेलवे बोर्ड ने kyphocolosis से ग्रसीत उम्मीदवारों हेतु कोई पद निर्धारित नहीं किए थे अतः विक्रम सिंह कि नियुक्ति संभव नहीं है।

5. प्रतिवादी की ओर उपस्थित प्रतिनिधि को सुनने के बाद तथा इस न्यायालय ने गंभीर चिंता के साथ नोट किया कि वादी के द्वारा घोर उपेक्षा दिखाई गई है कि दो तिथियों की सुनवाई के समय वादी की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई सूचना प्राप्त हुई। वादी ने सुनवाई में भाग लेने के लिए न तो अपनी असमर्थता को बताया और न ही मामले में अपना उत्तर भेजा।

6. उक्त मुद्दा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 के बिन्दु 38 (4) तहत खारिज किया जाता है।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन)